

Form No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

घमन्डी व अन्य बनाम रेशमदेवी व अन्य

हुकम का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज

प्रार्थना पत्र - 212 जा0दी0 संख्या 250 वर्ष 2022


तारीख
हुकमनम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तारीख में जारी हुए

23.05.2022

आज यह पत्रावली मूल दावा के साथ पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है।

अतः अप्रार्थीगण को आगामी पेशी 01-07-2022 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्द्रोजा से पाबन्द किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 496/0.27, 564/0.06, 565/0.16, 499/0.28, 567/0.06 है0 वाके ग्राम बामनटेडी तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) पर वादी के हिस्से पर निर्माण कार्य नहीं करें व मौका की यथास्थिति बनाये रखें।


क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद Absolute कर दिया जावें? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जर्ये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जबाब पेश करे। वकील प्रार्थीगण वास्ते तलबी अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड ए0डी0 के नोटिस तलबाने सात दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है, बाद तलवी पत्रावली वाद के साथ पेश हों।


उपखण्ड अधिकारी

तिजारा (अलवर)

01/07/22

आज पत्रावली पेश ए0 जा0दी0 संख्या 250 वर्ष 2022
मूल दावा वादी धार्थी के क्लॉट प्रेस रू 0.16
हो गाना ही धरना जा0दी0 जा0दी0 किया जाय
बाद निषेध निरस्त मूल दावा हो।


उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0